(18)

**विषय:** जनपद आगरा में आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग (SH-39) के कि.मी. चैनेज 205.000 से 220.873 के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर 15.873 कि.मी लम्बाई में भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा द्वारा (NOFN प्रोजेक्ट के तहत समस्त ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने हेतु) प्रस्तावित ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में कुल 0.4762 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

## संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

दिनांक 28.09.2022 को भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा की ओर से श्री अरविन्द कुमार, डिवीजनल इंजीनियर (ट्रॉन्समीशन) व सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय वनाधिकारी, बाईंपुर रेंज़ के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण की आख्या के अनुसार आगरा-जगनेर-तांतपुर मार्ग (SH-39) के कि.मी. चैनेज 205.000 से 220.873 के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर 15.873 कि.मी लम्बाई में भारत संचार निगम लिमिटेड, आगरा द्वारा (NOFN प्रोजेक्ट के तहत समस्त ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने हेतु) प्रस्तावित ऑप्टीकल फाइबर केबिल के बिछाने में कुल 0.4762 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। परियोजना के तहत प्रभावित वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष बाधक नहीं हैं तथा उक्त विषयक कार्य हेतु उपयुक्त है। सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु गैर वानिकी उपयोग की जाने वाली वनभूमि की मांग न्यूनतम है एवं कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(अरविन्द कुमार)
डिवीजनल इंजीनियर (ट्रॉन्समीशन)
भारत संचार निगम लिमिटेड,
आगरा

(धर्मेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
बाईंपुर रेंज, आगरा

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा
15/11